



प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 24/04/2024

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), संजय कुमार द्वारा पंचदीप भवन, पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में एक सादे समारोह में मेरो नरुला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. में कार्यरत सरोज कुमार की मृत्यु के उपरांत उनकी आश्रिता पत्नी श्रीमती कंचन देवी, पुत्र पियूष राज एवं प्रतियूष रज तथा पुत्री राजनंदनी कुमारी को आश्रित हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी।

स्व० सरोज कुमार की मृत्यु कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी। वे परिवार में अकेले कमानेवाले थे। नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ₹०एस०आई०सी० द्वारा आश्रितों के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत किया गया क्योंकि उनकी मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना में हुई थी।

उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल पर कार्य के दौरान या कार्यस्थल जाने या वहां से घर जाने के दौरान किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना या दुर्घटना में ₹०एस०आई० सी० में बीमित कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ₹० एस० आई० योजना में वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है।

क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी)